भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AD 382637

[illegible] राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
शिक्षा समिति गाजीपुर पत्रावली प्रस्तुत [illegible]
[illegible] के [illegible]

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी
9.7.2017

प्राचार्य
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरुईन, जमानियाँ-गाजीपुर

प्रबंधक
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरुईन, जमानियाँ-गाजीपुर

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AD 382636

[illegible]

[illegible]

[illegible]

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

2.2.2.17

प्राचार्य
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरईन, जमानियाँ-गाजीपुर

प्रबंधक
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरईन, जमानियाँ-गाजीपुर

Scanned with OKEN Scanner

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : राज किशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति,
2. संस्था का पता : ग्रा0 व पो0 बरूइन, तह0 जमानियाँ, जिला–गाजीपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :–

क. जो 1000/–रूपया (एक हजार रूपया) या 2000/–रूपये की सम्मत्ति सदस्यता शुल्क में दे तो वह एक वर्ष के लिये सदस्य होगा।

ख. जो पॉच हजार रूपया या उससे अधिक या दस हजार रूपये मूल्य की सम्पत्ति दान के रूप में दे तो वह आजीवन सदस्य होगा।

ग. उपरोक्त क और ख में वर्णित सदस्यों के अतिरिक्त यह समिति जिस किसी को भी विद्या अथवा देशोपकार का अथवा समाज सेवी या अन्य किसी विशेष के कारण समिति का हित साधक समझकर सदस्य बनाना चाहे तो वह भी सदस्य हो सकेगा। इनकी संख्या 10 से अधिक न होगी। ऐसे सदस्यों का निर्वाचन 5 वर्षों के लिये किया जायेगा।

घ. उपरोक्त सभी प्रकार के सदस्य सभी सदस्य माने जायेगें जब साधारण सभा का 2/3 सदस्यों द्वारा उनकी सदस्यता का प्रस्ताव स्वीकृत होगा।

राजकिशोर सिंह
रा० प्रे० उपाध्याय
रा० रे० उ० सिंह
रां० उपाध्याय
M. K. Singh
ओ० पी० सिंह

5. <u>निम्न कारणों से राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति अथवा प्रबंधकारिणी समिति में स्थान रिक्त समझा जायेगा:</u>

क. यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाय या पागल हो जाये या राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति के 3/4 सदस्य अपने संस्था के लिये हानिकर समझकर निष्कासित कर दें या कोई सदस्य त्याग–पत्र दे दें।

6. <u>साधारण सभा</u> : उपरोक्त धारा 4 में वर्णित क.ख. एवं ग प्रकार के सभी सदस्य मिलकर संस्था की एक साधारण सभा होगी। इस समिति का अधिकार होगा वह इस काम के लिये विशेष अधिवेशन करके किसी सदस्य को विशेष कारण उपस्थित होने पर हटा सके पर किसी सदस्य को हटाने के लिये कुल सदस्यों में से तीन चौथाई का सहमत होना और अंतिम निर्णय होने के पहले उस सदस्य को अपने बचॉव का अवसर दिया जाना आवश्य होगा। सदस्य प्रतिनिधियों की प्राप्ति ... सकेगें।

सत्य प्रतिलिपि
प्राचार्य
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
...नियाँ–गाजीपुर
कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि ... मिलान कर्ता ...

प्रबंधक
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरूईन, जमानियाँ–गाजीपुर

Scanned with OKEN Scanner

पर ऐसे अधिवेशन के लिये गणपूरक कुल सदस्यों की 5 से कम न हो। इस समिति तथा समिति द्वारा संचालित संस्थाओं का प्रबंधक करने के लिये एक प्रबंधकारिणी समिति होगी इस प्रबंधकारिणी समिति के सात सदस्य होगें जिनका राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति अपने आजीवन सदस्यों में से वार्षिक अधिवेशन प्रति पाँच (5) वर्ष बाद में चुनेगी। वार्षिक अधिवेशन यथासम्भव जन मास में होगा। इन्ही सदस्यों में प्रबंधकारिणी समिति के अधिकारी भी होगें जिन्हें उसी वार्षिक अधिवेशन में राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति बरूइन तहसील जमानियाँ जिला–गाजीपुर (5) वर्ष के लिये चुनेगी किन्तु श्री रामनरायन सिंह आजीवन प्रबंधक होगें। प्रबंधक अपनी अनुपस्थिति में अपने कार्यो के लिये प्रबंध कारिणी समिति से किसी को कार्यभार सौप सकते हैं। उसके अलावा प्रबंधक को अपना उत्तराधिकार चुनने का भी अधिकार होगा। जिसे प्रबंधक के सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगा। इस प्रबंधकारिणी समिति के निम्नलिखित अधिकारी होगें–

7. राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति का अधिवेशन वर्ष में यथा सम्भव दो बार होगा जिसमें नियम 7 के अनुसार एक वार्षिक अधिवेशन होगा आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष विशेष अधिवेशन का अधिकार होगा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति कम से कम 5 सदस्यों के लिखने मर विशेष अधिवेशन करेगें। समिति के अधिवेशन की सूचना नियत तिथि से किसी को कम से कम 15 दिन पहले दी जायेगी और सूचना के साथ कार्यक्रम मंत्री, प्रबंधक की सम्पत्ति से करेगें। यदि किसी सदस्य को कोई प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत करना हो तो वह उसे लिखकर मंत्री के पास भेज देगा ऐसे सभी प्रस्तावों को नियत तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक मंत्री के पास पहुँच जायेगें। उन्हें मंत्री कार्यक्रम सूची में जोड़ देगा। अध्यक्ष की अनुमति से साधारण सभा अधिवेशन में आवश्यक कार्य बिना सूचना के उपस्थित किया जा सकता है। राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति बरूइन का वार्षिक अधिवेशन में 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभा के अधिवेशन में सभापति का आसन ग्रहण करेगें और सभा के कार्यो का संचालन करेगें। सभापति का अधिकार

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

प्रबंधक
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरूईन, जमानियाँ–गाजीपुर

प्राचार्य
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरूईन, जमानियाँ–गाजीपुर

Scanned with OKEN Scanner

होगा कि सर्वसम्मति की व्यवस्था से अपने मत के अतिरिक्त एक और मत दे दोनों की अनुपस्थिति में सदस्य अपने में से किसी एक को उसका अधिवेशन का सभापति निर्वाचित करेंगे और उस अधिवेशन हेतु सम्बन्धी वे ही अधिकार और कर्तव्य होंगे जो अध्यक्ष को होते हैं।

ख. राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे–

क. प्रबंधकारिणी समिति द्वारा किये गये आय तथा व्यय के हिसाब किताब देखभाल करना।

ख. प्रबंधकारिणी समिति द्वारा किये हुये कार्यों की देखभाल करना।

ग. समिति के हित के लिये कार्य करने या रोकने के लिये प्रबंधकारिणी को आदेश देना।

घ. इस समिति के नियमावली में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन तथा निरसन करने का पूर्ण अधिकार समिति को होगा।

ङ. इस समिति के हित के लिये सारे कार्य करना जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत हो किसी कारण से यदि समिति भंग होने लगे तो उसकी सम्पत्ति के अन्य संस्था को दे देना एवं उचित प्रबंध करना।

च. प्रबंधकारिणी समिति के लिये प्रबंधक ... सदस्यों को प्रत्येक 5 वर्ष पर पुनर्गठन करना।

8. प्रबंधकारिणी समिति का अधिवेशन यथासम्भव मास में एक बार होगा। प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष अथवा कोई तीन सदस्य अध्यक्ष द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में मंत्री द्वारा विशेष अधिवेशन करा सकेंगे। उस अधिवेशन में केवल उसी विषय पर विचार होगा जिसके लिये वह अधिवेशन किया गया हो। प्रबंधकारिणी समिति की कार्य सूची मंत्री, प्रबंधक की सम्मति से निश्चित करेंगे। प्रबंधकारिणी समिति के लिये 5 दिन पूर्व मंत्री द्वारा नोटिस दी जायेगी। प्रबंधकारिणी समिति अधिवेशन के लिये गणपूरक संख्या एक तिहाई होगी परन्तु तीन से कम न होगी।

9. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का आसन ग्रहण करेंगे तथा समिति के कार्यों का संचालन करेंगे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थिति सभासद अपने में से एक को उस अधिवेशन का कार्य सम्पादित करने के लिये सभापति चुनेंगे और इस अधिवेशन के लिये अधिवेशन संबंधी वे ही अधिकार और कर्तव्य होंगे जो अध्यक्ष के होते हैं।

सत्य प्रतिलिपि

उप सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रबंधक
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरुईन, जमानिया-गाजीपुर

अधिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

प्राचार्य
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरुईन, जमानिया-गाजीपुर

10. यदि गणपूर्ति न होने के कारण कोई अधिवेशन राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति तथा प्रबंधकारिणी समिति को स्थगित किया जावे तो सदस्यों को फिर राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति बरूइन के लिये 5 दिनों का प्रबंधकारिणी के लिये दो दिनों की सूचना देकर ऐसा स्थगित अधिवेशन होगा जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी।

11. यदि किसी कारण से कोई रिक्त स्थान प्रबंधकारिणी में हो जाता है तो उसकी पूर्ति शेष काल के लिये प्रबंधकारिणी अपने साधारण सभा के सदस्यों में सं.कर लेगी।

12. प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों की नियुक्ति [illegible] वर्षो के लिये होगी परन्तु अवधि के समाप्ति पर वे पुनः चुने जा सकेगें।

13. <u>प्रबंधकारिणी समिति के कार्य निम्न होगें:-</u>

क. राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति "बरूइन के द्वारा संचालित संस्थाओं के कार्य को सुचारू रूप से चलाने का प्रबंध करना।

ख. संस्था के लिये धन एकत्रित करना, नियमानुसार उसकों व्यय करना तथा उसका प्रबंध करना।

ग. आय-व्यय का अनुमान पत्र तैयार करना, इसके निरीक्षण का प्रबंध करना तथा राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति बरूइन के सम्मुख स्वीकृत के लिये सभा में अधिवेशन में उपस्थित करना।

घ. राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति बरूइन के द्वारा संचालित संस्थाओं के लिये और उसके विविध विभागों के लिये प्रधानाध्यापक, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना। उनको विशेष कारण से अपने पद से अलग करना तथा मुअत्तल करना और उनके काम की देख-रेख करना।

ङ. विद्यालय के हित में विद्यालय की सम्पत्ति का पट्टा, दान, आदान प्रदान या किसी उचित रीति से समिति के लिये आवश्यक हो तो उसके किसी अंग को हस्तान्तरित करना या क्रय-विक्रय करना।

च. अध्यापक तथा अन्य कार्यकर्ताओं की वृत्ति या पुरस्कार या किसी प्रकार की सजा देना।

छ. राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति बरूइन तथा उसकी ओर से संचालित संस्थाओं की ओर से समिति व उसकी संस्था के हित में किसी के उपर मुकदमा दायर करना या मुकदमें से बचाने का प्रबंध करना।

झ. उ0प्र0 शिक्षा विभाग द्वारा संचालित तथा अन्य नियमों के अनुसार अपने संस्थाओं का संचालन करना।

M.K. Singh

सत्य प्रतिलिपि

उप सहायक निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता.........
मिलानकर्ता..........

प्रबंधक
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरूईन, जमानियाँ-गाजीपुर

प्राचार्य
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरूईन, जमानियाँ-गाजीपुर

Scanned with OKEN Scanner

14. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः–

क. अध्यक्ष के अधिकारः– राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति बरूइन तथा प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में समापति का आसन ग्रहण करना।

ख. राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति बरूइन तथा प्रबंधकारिणी की बैठकों को बुलाने, विघटित करना एंव स्थगित करने का आदेश देना।

ग. समिति तथा प्रबंधकारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही का संचालन करना।

घ. सममति की स्थिति में निर्णायक मत देना।

15. उपाध्यक्ष के अधिकारः– उपाध्यक्ष के वहीं अधिकार होगें जिनका उपयोग अध्यक्ष की अनुपस्थिति में करेगें।

16. प्रबंधक के अधिकारः–

क. राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति बरूइन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यथोचित सभी कार्यो को करने का अधिकार प्रबंधक को होगा।

ख. प्रबंधकारिणी समिति यदि किसी कार्यवश न बुलाई जा सके तो ऐसी दशा में समिति के सभी कार्यो को करने का अधिकार प्रबंधक को होगा।

ग. राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति बरूइन द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रधानाध्यापकों एवं सम्बन्धित कर्मचारियों को संस्था के हित के लिये आदेश देना और समिति के पक्ष विपक्ष सारी अन्दरूनी कार्यवाही प्रबंधक करेगा।

घ. समिति के विरूद्ध मुकदमा प्रबंधक के नाम से दायर किया जायेगा या समिति की तरफ से जो मुकदमा दायर होगा उसे प्रबंधक करेगा।

ड. प्रबंधक के पास समिति से सभी कागजात जैसे–सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक आदि सभी कागजात प्रबंधक के पास रहेगें।

च. समिति से संबंधित पत्र–व्यवहार प्रबंधक के माध्यम से होगा।

छ. सभी प्रकार के खर्च प्रबंधक द्वारा ही स्वीकृति किया जायेगा।

ज. संस्था के सभी प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों एवं अन्य सभी कर्मचारियों की नियुक्ति मुअत्तल करना, बरखास्त करना या किसी प्रकार का सजा देने का अधिकार प्रबंधक को ही होगा।

सत्य प्रतिलिपि

प्रबंधक
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरूईन, जमानियाँ-गाजीपुर

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

17. मंत्री के अधिकारः– क. समिति तथा प्रबंधकारिणी समिति सम्बन्धी अधिवेशनों की कार्यवाही लिखना एवं कार्य सूची प्रबंधक के परामर्श से तैयार करना।

ख. अध्यक्ष की सलाह से बैठकों का आयोजन करना।

ग. प्रबंधक के परामर्श से आय–व्यय के चिट्ठो एवं अन्य विभागों को बैठकों में प्रस्तुत करना।

घ. संस्था के आय–व्यय का हिसाब–रखना मंत्री का उत्तरदायित्व होगा।

18. संशोधनः– राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति बरूइन के नियमों में समय–समय परिवर्तन, परिवर्द्धन व निर्वतन करने का पूरा अधिकार राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति की साधारण सभा को होगा जिसके लिये सदस्यों का तीन चौथाई बहुमत होगा।

19. इस संस्था की समस्त चल और अचल सम्पत्ति की तथा आय–व्यय और हानि लाभ की जॉच किसी मान्यता प्राप्त जाचकर्ता द्वारा कम से कम एक वर्ष में हुआ करेगी और समिति के वार्षिक अधिवेशन में चिट्ठी उपस्थिति किया जायेगा व जॉच के बाद जॉचकर्ताओं के प्रमाण सहित होगा।

20. इस संस्था की समस्त आय और सम्पत्ति चाहे कहीं से किसी प्रकार प्राप्त हुई हो। इस संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में लगायी जायेगी जो संकल्प में अंकित है। इसका कोई भाग उन लोगों को जो संस्था के सदस्य है या रहें हो या उनमें किसी को या उनके द्वारा किसी अन्य को किसी प्रकार से मुनाफा आय किस्त और किसी रूप से नहीं दिया जायेगा। परन्तु संस्था के किसी कार्यकर्ता अथवा किसी सदस्य या किसी दूसरे मनुष्य को यदि वह संस्था का कोई काम करें तो पुरस्कार या वेतन या अन्य उचित खर्च देने में यह नियम बाधा न डालेगा।

21. क. संस्था का सभी प्रकार का आय व्यय का विवरण मंत्री के जिम्मे होगा।

ख. सभी प्रकार के समिति की धनराशि किसी मान्यता प्राप्त बैंक में ही जमा की जायेगी और पैसा जमा करने और खर्च करने का अधिकार प्रबंधक को होगा। प्रबंधक के हस्ताक्षर से ही जमा या खर्च होगा।

22. यदि संस्था के भंग या सम्पत्ति के प्रबंधक का प्रयोग, से कोई हानि हो तो कोई एक सदस्य अथवा सब सदस्य उत्तरदायी नहीं होगें जब तक कि वह हानि उससे अथवा उन्होंने जान बूझ कर न किया हो।

सत्य प्रतिलिपि

प्राचार्य
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरूईन, जमानियाँ

प्रबंधक
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरूईन, जमानियाँ-गाजीपुर

प्रतिलिपि कर्ता ....
मिलानकर्ता ....

23. यदि कभी राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति टूट जाये तो लेना–देना साफ करके शेष सम्पत्ति या धन बच जाये तो वह संस्था के सब सदस्य या उनमें से किसी एक को न दिया जायेगा। किन्तु वह दूसरी संस्था को दे दिया जायेगा। जिसके उद्देश्य इस संस्था के समान होगें। इसका निर्णय उन सदस्यों में से 3/5 के सहमत होने पर होगा जो उस समय स्वंय या प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत होगें यदि ऐसा न हो सका तो इसका निर्णय गाजीपुर जिले के जज को निर्णय करने का अधिकार होगा इसके अलावा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 13 व 14 लागू होगी उसके अनुसार अंश के सम्बन्ध में निश्चित दिया जायेगा। राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति बरुइन पो0 व तहसील जमानियाँ, गाजीपुर के हम सदस्य जिनके हस्ताक्षर नीचे दिये जाते है। इस लेख द्वारा प्रकाशित करते है कि राजकिशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति "बरुइन की यह सम्यप्रतिलिपि है।

24. अन्य नियमः–

प्रतिबन्ध

क. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख. विद्यालय के प्रबंधसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

घ. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपि कर्ता ....

मिलान कर्ता ....

प्रबंधक
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरुईन, जमानियाँ-गाजीपुर

प्राचार्य
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरुईन, जमानियाँ-गाजीपुर

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

ड. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमानों तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

च. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

छ. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उसका पालन करेगी।

ज. विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/प्रतिकाओं में रखा जायेगा। यदि हो तो कृपया प्रबंधकारिणी इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क से ज तक स्वीकार है।

झ. उपर्युक्त शर्तो में बिना शासन के पूर्व अनुमोदन के कोई संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

सत्य–प्रतिलिपि

दिनांक.................   हस्ताक्षर...........

प्रबंधक
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बर्व्हन, जमानियाँ-गाजीपुर

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपि कर्ता................
मिलान कर्ता................

प्राचार्य
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बर्व्हन, जमानियाँ-गाजीपुर

राज किशोर सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति

ग्रा० व पो० बरूइन, तह० जमानियाँ, जिला–गाजीपुर

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्षः– 2010–2011

क्र.सं.	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री मनोज कुमार सिंह	ग्रा० व पो० मैनपुर करण्डा, गाजीपुर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री पारस नाथ सिंह	ग्रा० व पो० जमुआंव करण्डा, गाजीपुर	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्री उपेन्द्र सिंह	ग्रा० व पो० बरुईन, जमानियाँ, जिला–गाजीपुर	प्रबन्धक	समाजसेवा
4.	श्री राम सिंहासन सिंह	बरुईन जमानियां, गाजीपुर	मंत्री	समाजसेवा
5.	श्री सुरेन्द्र सिंह	बलिहार बक्सर, बिहार	सदस्य	समाजसेवा
6.	श्री सत्येन्द्र सिंह	ऊचवालाज, वाराणसी	सदस्य	समाजसेवा
7.	श्री संजय सिंह	ग्रा० व पो० जमुआंव करण्डा, गाजीपुर	सदस्य	समाजसेवा

हस्ताक्षर——

दिनांकः————

सत्य–प्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

प्रबंधक
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरूईन, जमानियाँ–गाजीपुर

प्रतिलिपि कर्ता.........

प्राचार्य
राजकिशोर सिंह महाविद्यालय
बरूईन, जमानियाँ–गाजीपुर